

हरियाणा ने अग्निवीर कोटा बढ़ाया


चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने कांस्टेबल और वन रक्षक सहित अन्य पदों की भरती में **अग्निवीरों** के लिये **10% क्वैतजि आरक्षण** की घोषणा की।

मुख्य बंदि:

- अग्निवीरों को सविलि पदों के लिये गुरूप-सी की सीधी भरती में 5% और गुरूप-बी की सीधी भरती में 1% क्वैतजि आरक्षण मललगा।
- जो नजलल प्रतषलतान अग्निवीरों को 30,000 अथवा उससे अधकल मासकल वेतन देते हैं, उन्हें राज्ज सरकार से 60,000 की वार्षकल सब्सलडी मललगी।
- व्जवसाय शुरु करने वाले अग्निवीर को 5 लाख तक के ःरण पर ब्जज लाभ मललगा।
- अग्निवीरों को शस्त्र लाइसेंस और सरकारी वभलगों/बोर्डों/नगलमों में रोजगार के लिये प्राथमकलता दी जाएगी।

अग्निपलथ योजना



■ परचिय:

- यह देशभक्त और प्रेरति युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिये सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करता है।
- इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्नवीर कहा जाएगा। युवा कम अवधि के लिये सेना में भर्ती हो सकेंगे।
- नई योजना के तहत प्रतविर्ष लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी तथा इनमें से अधिकांश चार वर्षों में ही सेवा छोड़ देंगे।
- हालाँकि चार वर्षों के बाद बैच के केवल 25% लोगों को ही 15 वर्षों की अवधि के लिये उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा।

■ पात्रता मापदंड:

- यह केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिये है (जो कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं)।
 - कमीशन प्राप्त अधिकारी सेना के सर्वोच्च रैंक वाले अधिकारी होते हैं।
 - भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एक विशेष रैंक प्राप्त है। वे प्रायः राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के तहत कमीशन प्राप्त करते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश दिया जाता है।
- 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/haryana-increases-agniveer-quota>

